नियम 111 : न्यायालय अधिकारी द्वारा आदेश का प्रेषण

(1) न्यायालय अधिकारी आदेश सुनाए जाने के तुरन्त बाद मामले की फाइल के साथ आदेश को उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगा।

(2) न्यायालय अधिकारी से आदेश प्राप्त होने पर उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार सम्यक जांच के पश्चात् स्वयं को संतुष्ट करेगा कि इन नियमों के उपबंधों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया गया है और इसके प्रमाण स्वरूप वह आदेश के बाहरी आवरण पर तारीख सहित अपने आद्याक्षर लगाएगा।

(3) तत्पश्चात् उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार मामले की फाइल और आदेश को रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगा ताकि प्रतियां तैयार करने के लिए कदम उठाए जा सकें और पक्षकारों को उनकी सूचना दी जा सके।